राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर।
पीठासीन प्राधिकारी– नरेन्द्र पाल सिंह रा.प्र.से.

अपील सं. 03/2023

उनवान

1. सुखसिंह पुत्र देईदानसिंह जाति राजपूत निवासी दादू का गांव तहसील कोलायत जिला बीकानेर

––अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकाराज

––रेस्पोडेन्टान

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 15.10.1984 न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन (प्रथम) मुकाम कोलायत

उपस्थित–

प्रार्थी(अपीलांट) की ओर से– विद्वान अभिभाषक श्री रामचन्द्र सिंह भाटी
अप्रार्थी(रेस्पोडेन्ट) की ओर से– पैरोकाराज

निर्णय दिनांक :– 26.02.24

निर्णय

अपील अपीलान्ट की ओर से वकील श्री रामचन्द्र सिंह भाटी, एडवोकेट द्वारा अपील अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 15.10.1984 न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन (प्रथम) मुकाम कोलायत के विरूद्ध पेश की गई। अपीलांट द्वारा पेश अपील मीमो के मुख्य तथ्य निम्न प्रकार है :–

1. अपीलाण्ट ग्राम दादू का गांव का मूल निवासी है खेतीहर मजदूरी पेशा व्यक्ति है।
2. अपीलाण्ट ने भूमिहीन होने से सक्षम आवंटन अधिकारी के समक्ष भूमि आवंटन हेतू आवेदन दिया जिस पर अपीलाण्ट की आवंटन की पात्रता की जांच की जाकर उिदनांक 26.07.1982 को अपीलाण्ट के नाम ग्राम दादू का गांव में खसरा नंबर 95/6 में 35.00 बीघा भूमि आरजी काश्त आवंटन के तहत आवंटन की जाकर विधिवत पट्टा जारी किया गया है।
3. आराजी मुतनाजा आवंटन किये जाने के बाद अपीलाण्ट को हल्का पटवारी ने मौके पर भौतिक कब्जा दिया है तब से आज दिनांक तक अपीलाण्ट का आराजी मुतनाजा पर निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलाण्ट ने अथक मेहनत कर, हजारों रूपया खर्च कर आराजी मुतनाजा को सुधारा है तथा काबिल काश्त बनाया है। अपीलाण्ट आराजी मुतनाजा को ही काश्त कर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करता आ रहा है।
4. अपीलाण्ट के आराजी मुतनाजा पर निरन्तर कब्जा काश्त के आधार पर प्रतिवर्ष नवीनीकरण किया जाता रहा है। अपीलाण्ट ने मालकाना राजस्व आदि भी खजानाराज जमा करवाया है।
5. दिनांक 15.10.1984 को श्रीमान सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत ने बिना अपीलाण्ट को सुनवाई सबूत का कोई अवसर दिये, सरासर एकतरफा तौर पर अपीलाण्ट का आरजी काश्त आवंटन इस आधार पर निरस्त किया कि बावजूद इतला

प्रार्थी अनुपस्थित इससे जाहीर होता है कि संवत 2041 का नवीनीकरण कराना नहीं चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है। इस आधार पर बिना किसी प्रकार की सूचना दिये सरासर एमतरफा तौर पर अपीलाण्ट का आरजी काश्त आवंटन निरस्त कर दिया जो आवंटन नियमों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

6. श्रीमान सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत ने आदेश पारित करने से पूर्व आवंटन नियमों का अवलोकन तक नहीं किया। अपीलाण्ट को कोई नोटिस/सूचना नहीं दी गयी। जबकि प्राकृतिक न्याय सिद्धांत है कि किसी भी प्रकार का आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। श्रीमान सहायक आयुक्त उपनिवेशन द्वारा कोई सुनवाई का अवसर न दिये जाने के कारण अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।
7. पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड अनुसार 1983 में भी आराजी मुतनाजा पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त निरन्तर दर्ज है।
8. दिनांक 27.09.2022 को अपीलाण्ट फिर श्रीमान तहसीलदार उपनिवेशन गजनेर मु0 कोलायत के समक्ष हाजिर होकर अपने आरजी काश्त आवंअन पत्रावली पर की गई कार्यवाही की जानकारी चाही तो आदेश की जानकारी हुई तब अपीलाण्ट ने उसी दिन नकल हेतु आवेदन दे दिया।

अतः अपील अपीलाण्ट प्रस्तुत कर श्रीमानजी से सादर निवेदन है कि ओदश दिनांक 15.10.1984 श्रीमान सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत निरस्त किया जाकर अपील मंजूर फरमाई जावें।

पैरोकारराज का कथन कि उक्त अपील जो कि मियाद बाहर पेश की गई है, मियाद पर खारिज फरमाते हुए गुणावगुण के आधार पर आदेश पारित किया जावे।

वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट का कथन है कि अपीलमीमों को ही मेरी अंतिम बहस मानी जावे। साथ मौखिक कथन है कि अपीलान्ट को आदेश जारी करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विधिवत् नोटिस/सूचना नहीं दी गई है। एकतरफा ही आदेश जारी किया गया है। अपीलान्ट का वर्ष 1982 से लगातार विवादगत भूमि पर कब्जा काश्त रहा है, व आज तक काबिज है। दिनांक 27.9.2022 को अपीलान्ट फिर श्रीमान् तहसीलदार उपनिवेशन गजनेर के समक्ष हाजिर होकर अपने आरजी काश्त आवंटन पत्रावली पर की गई कार्यवाही की जानकारी चाही तो आदेश की जानकारी हुई। अतः धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत डीले कन्डोन की जाकर आदेश दिनांक 15.10.1984 श्रीमान् सहायक आयुक्त उपनिवेशन कोलायत को निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

प्रकरण में जहॉ तक मियाद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.10.1984 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्ध अपील दिनांक 1.2.2023 को पेश की गई है। अपील के साथ धार 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष की और से कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलान्ट को बिना सुने पारित किया गया है। अतः अपीलान्ट के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियाद घोषित की जाती हैं

जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, हस्तगत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा टीसी आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर अपीलान्ट को तहसील कोलायत के ग्राम दादुका में खसरा नम्बर 95/06 में 35.00 बीघा भूमि टी.सी. आवंटन की गई। अपीलान्ट को टीसी में आवंटित भूमि का संवत् 2041 तक नवीनीकरण किया गया।

टी.सी. नवीनीकरण पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अदालत मातहत द्वारा टी.सी. नवीनीकरण से संबंधित समस्त तथ्यों का कतई जॉच किये बिना ही अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर दिये बिना अपीलान्ट का टी.सी. आवंटन खारिज किया जाना आवेदक के साथ अन्याय है तथा आवंटन अधिकारी का निर्णय पक्षपातपूर्ण मनमाना एवं अविवेकपूर्ण है।

उक्त विवेचना के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश सहायक आयुक्त उपनिवेशन कोलायत दिनांक 15.10.1984 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम बीकानेर मु0 कोलायत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को सूनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए टी.सी. आवंटन हेतु नियमानुसार विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 26.02.24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर से इजलास सुनाया गया।

(नरेन्द्र पाल सिंह)
अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन
एवं राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर